संचिका सं0–10/यो0–1–01/2015 (पार्ट) – 388(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 02-8-18

विषयः– भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध NHM अन्तर्गत RCH Flexible Pool कार्यक्रम के तहत राज्यांश मद की बकाया राशि रुपये 144.42 करोड़ (एक अरब चौवालिस करोड़ बेयालिस लाख रुपये) वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यांश मद में उपबंधित राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति ।

आदेशः स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के पत्र सं०–D.O letter No. G-25020/1/2017-18/NHM(Finance), दिनांक–09.04.2018 के द्वारा संसूचित पत्र एवं तद्क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक–2944, दिनांक–25.07.2018 के मांग पत्र से NHM अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध अबतक के राज्यांश मद की अवशेष/बकाया राशि रुपये 144.42 करोड़ (एक अरब चौवालिस करोड़ बेयालिस लाख रुपये) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से राज्यांश मद के राशि राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

अबतक वित्तीय वर्ष 2018--19 में भारत सरकार के संसूचित पत्र के आलोक में राज्यादेश संख्या–352(10), दिनांक–23.07.2018 से स्वीकृत राज्यांश की राशि 66.92 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या–351(10), दिनांक–23.07.2018 से विगत वित्तीय वर्ष के बकाये राज्यांश की राशि 17.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। एतद् क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के आलोक में अवशेष बकाया राज्यांश की कुल राशि रुपये 144.42 करोड़ (एक अरब चौवालिस करोड़ बेयालिस लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. मांग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 0303–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा मद् में उपबंधित राशि रुपये 2,00,40,00,000/– अधिशेष राशि रुपये 1,44,42,00,000/– (एक अरब चौवालिस करोड़ बेयालिस लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होगें।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता–PLA-263 विपत्र कोड–K8448001200027 में सुलभ करायेगें। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेगें।

5. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0–8244, दिनांक–02.08.2010 की कंडिका–2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

6. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/यो0–1–01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ–108/टि0 पर प्राप्त है ।

9. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।

10. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–10/यो0–1–01/2015 (पार्ट)–388(10) /स्वा0, पटना, दिनांक–02-8-18

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10 एवं प्रशाखा–10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव